Regarding need to constitute Kalanamak Vikas Board and to include Kalanamak rice in the second schedule of APEDA Act-Laid

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज) :** मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर एवं पूर्वांचल क्षेत्र में उत्पादित पारंपरिक काला नमक चावल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । यह प्राचीन धान प्रजाति, जिसे बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट सुगंध, पोषक गुणों, जैविक उत्पादन और GI-Tag की वजह से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित है । प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और पारंपरिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । इसी भावना के अनुरूप, काला नमक चावल को संगठित एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है । अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि काला नमक चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात वृद्धि हेतु काला नमक विकास बोर्ड (Kalanamak Board) की स्थापना की जाए । यह कदम पूर्वांचल के लाखों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देगा । साथ ही, अनुरोध है कि काला नमक चावल को APEDA अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे इसे औपचारिक निर्यात समर्थन, गुणवत्ता प्रमाणन और वैश्विक बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्राप्त हो सके । यह दोनों निर्णय क्षेत्रीय कृषि विकास और पारंपरिक भारतीय धान विविधताओं के संरक्षण में अत्यंत सहायक होंगे ।